"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2006—पौष 16, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2001/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ (कार्य आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 में सरल क्रमांक 22 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक 23 तथा समस्त शेष कॉलमों में उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित किया जाए :—

(1)	(2)	(3)	(4)
तेईस	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग.	56	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग.

2. उपरोक्त छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम के नियम 3 में विनिर्दिष्ट कार्य आवंटन नियम में अनुसूची छ: के सरल क्रमांक ग्यारह के भाग-अ की संबंधित प्रविष्टियों सरल क्रमांक 22-अ तथा 22-ब का लोप किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2006

क्रमांक एफ 1-1/2001/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2001/1/एक, दिनांक 6 जनवरी, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 6th January 2006

NOTIFICATION

No. F 1-1/2001/1/One.—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following further amendments in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 2, after the serial number twenty two the following serial number twenty three and entries relating there to in all remaining columns shall be inserted :—

(1)	(2)	(3)	(4)
Twenty three	Information Technology and Biotechnology Department.	Fifty six	Information Technology and Biotechnology Department.

2. In the Business Allocation rules referred in rule 3 of the above Chhattisgarh Government Business (Allocation) rules, the serial numbers 22-A and 22-B entries there to of part (A) of serial number eleven of schedule six shall be ommitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PANKAJ DWIVEDI, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.